आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

राजीव शर्मा और कुलदिप सिंह के सामने **,** जे**.** जे**.**

नवीन कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण**,** चंडीगढ़ बेंच**,** चंडीगढ़ और अन्य-उत्तरदाता

2017 का सीडब्ल्यूपी **No.7598**

14 मार्च, 2019

भारत का संविधान-अनुच्छेद **226**-हस्तलेखन और फिंगर प्रिंट राय-रेलवे में भर्ती के लिए खारिज किए गए सफल उम्मीदवार आवेदन पत्र**,** ओ**.** एम**.** आर**.** शीट**,** दस्तावेज़ सत्यापन पत्र आदि पर हाथ लेखन या हस्ताक्षर में बेमेल-अंगूठे की छाप मेल खाती है-हाथ लेखन विशेषज्ञ की तुलना में फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ की राय पर भरोसा करना सुरक्षित है-याचिका की अनुमति है।

माना जाता है कि हस्त लेखन का विज्ञान कमजोर विज्ञान है, जबकि फिंगर प्रिंट का विज्ञान पूर्ण विज्ञान है।इसलिए, यदि हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय और फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ की राय के बीच कोई विकल्प है, तो फिंगर प्रिंट की राय पर भरोसा करना सुरक्षित है।चूंकि, इस मामले में, आवेदन पत्र, ओ. एम. आर. पत्रक और बाद के दस्तावेजों पर याचिकाकर्ता के अंगूठे के निशान उसके नमूने के अंगूठे के छापों से मेल खाते हैं, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि आवेदक-याचिकाकर्ता वही व्यक्ति है, जो परीक्षा में उपस्थित हुआ था।

(पैरा 10)

ने आगे कहा कि विभिन्न दस्तावेजों के साथ हाथ से लिखे या हस्ताक्षर के गलत मिलान के आधार पर आवेदक-याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करने वाले प्रतिवादीगण (अनुलग्नक-पी-6 और अनुलग्नक-पी-7) के आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। नतीजतन, याचिका की अनुमति दी जाती है।चूंकि, यह विवादित नहीं है कि आवेदक-याचिकाकर्ता एक सफल उम्मीदवार था, इसलिए प्रतिवादीगण को उनकी नियुक्ति के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और

परिणामस्वरूप उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है, उनके द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार, यह देखते हुए कि अंगूठे की छाप की तुलना के परिणामस्वरूप, वह वही व्यक्ति है, जिसने समूह 'डी' पद के लिए आवेदन किया था और उसी में सफल रहा था।

(पैरा 11)

सुरेंद्र लांबा, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

नवीन कुमार बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के साथ पी. सी. गोयल, अधिवक्ता,

चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ (जे. कुलदिप सिंह)

आरती गोयल, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के लिए।

कुलदिप सिंह**,** जे।

(1) याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़, (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित विवादित दिनांक 23.11.2016 (अनुलग्नक-P-1) को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत आदेशों (अनुलग्नक-A-6 और अनुलग्नक-A-7) को रद्द करने के बाद समूह 'D' पद पर नियुक्ति की मांग करने वाले उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

(2) जिन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे यह हैं कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा जारी विज्ञापन के जवाब में, समूह 'डी' के 5679 पदों को भरने के लिए रु। 5200-20200 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ। 1800/-, आवेदक-याचिकाकर्ता मुल्तान सिंह के बेटे नवीन कुमार ने उक्त पद के लिए आवेदन किया।वह रोल नंबर 200200549 के खिलाफ 9.11.2014 पर लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए।उन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की।उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी सफल घोषित किया गया था।उन्हें 4.8.2015 पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए और 5.8.2015 पर चिकित्सा जांच के लिए बुलाया गया था, जिसमें वे उत्तीर्ण हुए।हालाँकि, उनकी उम्मीदवारी को संबंधित कागजातों जैसे आवेदन पत्र, ओ. एम. आर. पत्रक, दस्तावेज़ सत्यापन पत्र आदि पर हाथ से लिखने/हस्ताक्षर में गलत मिलान के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त आदेश को रद्द करने की याचिका न्यायाधिकरण के समक्ष विफल रही।

(3) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और मामले की फाइल को भी ध्यान से देखा है।

(4) प्रतिवादी विभाग के विद्वान वकील ने विज्ञापन की शर्त संख्या 5.16 पर भरोसा किया है, जो नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है, कि उम्मीदवार को अपने हाथ से लिखित रूप में आवेदन पत्र भरना चाहिए, अन्यथा, उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगाः-

' 5.16 उम्मीदवार को अपनी चल रही लिखावट में आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 15 पर घोषणा की प्रतिलिपि बनानी चाहिए। अन्यथा, उनके आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(5) प्रत्यर्थी विभाग की दलील है कि आवेदन पत्र, ओ. एम. आर. पत्रक और दस्तावेज़ सत्यापन डेटा पर आवेदक-याचिकाकर्ता का हस्तलेखन/हस्ताक्षर गलत तरीके से मिलान किया गया है। इसलिए उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। यह देखते हुए कि उक्त शर्त का उद्देश्य यह देखना था कि परीक्षा के समय कोई प्रतिरूपण नहीं है, इस न्यायालय ने 20.4.2018 पर विस्तृत आदेश पारित किया। क्रियाशील भाग निम्नानुसार हैः

‘‘हमने पक्षों के लिए विद्वान परामर्श सुना है और किया है

याचिकाकर्ता को चयन की प्रक्रिया से बाहर करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा विशेषज्ञों की रिपोर्ट तक पहुंच के लाभ पर भरोसा किया गया। अभिलेख में आवेदन पत्र, ओ. एम. आर. पत्रक और बाद के सभी दस्तावेज भी होते हैं जो परीक्षा प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक थे, जिन पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं और साथ ही अंगूठे के निशान भी होते हैं। हस्त लेखन विशेषज्ञ ने इस प्रकार राय दीः-

राय

'1.ए 1, ए 2, ए 3, ए 4 और ए 4/1 चिह्नित लाल संलग्न लेखन और हस्ताक्षर सभी एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे।

2. जिस व्यक्ति ने ए 3 चिह्नित लाल संलग्न लेखन और हस्ताक्षर लिखे थे, उसने ए 1/1 चिह्नित लाल संलग्न लेखन नहीं लिखा था।

(6) अभिलेख की जांच करने पर हम पाते हैं कि ए-1/1 आवेदन पत्र में निहित घोषणा है या प्रपत्र में दी गई जानकारी जानकारी के अनुसार सही है। ए-3 दस्तावेज़ सत्यापन प्रपत्र पर परीक्षा के दौरान एक अन्य रूप में की गई समान घोषणा

है।

(7) यह हाथ लेखन में एक विचलन को दर्शाता है।दस्तावेज़ सत्यापन प्रपत्र में परीक्षा के दौरान आवेदन प्रपत्र और एक मोड में की गई घोषणा लेकिन हमारे दिमाग में प्रतिवादीगण के पास परीक्षा में उपस्थित होने वाले व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए अधिक निश्चित सत्यापन योग्य सामग्री तक पहुंच थी।ओ. एम. आर. शीट, दस्तावेज़ सत्यापन प्रपत्र, डॉक्टर के सामने चिकित्सा के परिणाम से आवेदन पर अंगूठे के निशान की कभी भी विशेषज्ञ से जांच नहीं की गई।हम विशेषज्ञ की रिपोर्ट में गलती नहीं पा सकते क्योंकि उसे सीमित प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था।प्रतिवादीगण ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर भरोसा रखते हुए प्रतिरूपण का एक निष्कर्ष निकाला जो हमारे दिमाग में एक गंभीर त्रुटि थी क्योंकि इसे परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण द्वारा निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया गया था, यह एक गंभीर मामला है और यदि निष्कर्ष पर केवल एक धारणा या निष्कर्ष पर पहुंचना है, बिना निर्णायक सत्यापन योग्य जानकारी के, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो एक उम्मीदवार की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।इस प्रकार प्रतिवादीगण के लिए यह अनिवार्य था कि वे इस तरह की राय बनाने से पहले इस तथ्य को निर्णायक रूप से स्थापित कर लें।केवल इसलिए कि आवेदन पत्र में घोषणा बाद के दस्तावेजों के दौरान हस्तलेखन के साथ भिन्न थी, वास्तव में

नवीन कुमार बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण होगा,

चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ (जे. कुलदिप सिंह)

669

विशेष रूप से जब प्रतिवादीगण के पास हस्ताक्षर और अंगूठे की छाप जैसी अधिक प्रामाणिक सत्यापन योग्य जानकारी उपलब्ध थी जिसे विशेषज्ञ से सत्यापित किया जाना चाहिए था, तो इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा।

(8) इस प्रकार हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं कि भले ही हम न्यायाधिकरण के विवादित आदेश और प्रतिवादीगण द्वारा पारित अस्वीकृति के आदेश को उन कारणों से दरकिनार कर दें जो हमने ऊपर उल्लिखित किए हैं, फिर भी यह हमें याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्कर्ष निकालने के लिए असत्यापित डेटा पर भरोसा करने के उसी जाल में डाल देगा।इन परिस्थितियों में, हम प्रतिवादीगण को परीक्षा के दौरान आवेदन पत्र और बाद के दस्तावेजों पर अंगूठे के निशान प्राप्त करने का निर्देश देते हैं।

जाँच के क्रम को सत्यापित करें और रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखें।"

(9) अब, आवेदक-याचिकाकर्ता के अंगूठे के छापों की तुलना के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट दायर की गई है, जो सौभाग्य से आवेदन पत्र, ओ. एम. आर. शीट और अन्य दस्तावेजों पर लिए गए थे, जिसका अर्थ है कि हस्ताक्षर के अलावा, आवेदक-याचिकाकर्ताओं के अंगूठे के छाप भी लिए गए थे।सत्यापन रिपोर्ट के अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

विवादित (एल. टी. आई.) प्रथम प्रश्न चिह्न। नवीन कुमार पुत्र श्री मुल्तान सिंह, रोल नंबर 200200549,

सैंपल प्रिंट (एल. टी. आई.) एस 1, एस 2, एस 3 के साथ इसकी तुलनात्मक जांच सही पाई गई है, जिसका अर्थ है कि अंगूठे का निशान उसी व्यक्ति का है।

उपरोक्त तथ्य के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सत्यापन में, उपरोक्त उम्मीदवार के संबंध में अपेक्षित विवादित प्रिंट सही पाया गया है। कृपया नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए।

(10) यह दर्शाता है कि आवेदक-याचिकाकर्ता के अंगूठे के निशान आवेदन पत्र, ओ. एम. आर. पत्रक और अन्य दस्तावेजों के साथ मेल खाते हैं, जिसका अर्थ है कि आवेदक-याचिकाकर्ता वही व्यक्ति है, जिसने अपने हाथ से लिखकर आवेदन पत्र भरा था, और उक्त परीक्षा में उपस्थित हुआ था और दस्तावेजों की जांच के समय भी उपस्थित हुआ था। मान लीजिए, हस्त लेखन का विज्ञान कमजोर विज्ञान है, जबकि फिंगर प्रिंट का विज्ञान पूर्ण विज्ञान है। इसलिए, यदि हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय और फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ की राय के बीच कोई विकल्प है, तो फिंगर प्रिंट की राय पर भरोसा करना सुरक्षित है। चूंकि, इस मामले में, आवेदन पत्र, ओ. एम. आर. पत्रक और बाद के दस्तावेजों पर याचिकाकर्ता के अंगूठे के निशान से मेल खाते हैं।

अपने नमूने के अंगूठे के छापों के साथ, इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि आवेदक-याचिकाकर्ता वही व्यक्ति है, जो परीक्षा में उपस्थित हुआ था।

(11) नतीजतन, विभिन्न दस्तावेजों के साथ हाथ लेखन/हस्ताक्षर के गलत मिलान के आधार पर आवेदक-याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करने वाले प्रतिवादीगण के आदेश (अनुलग्नक-पी-6 और अनुलग्नक-पी-7) को रद्द कर दिया जाता है। नतीजतन, याचिका की अनुमति दी जाती है। चूंकि, यह विवादित नहीं है कि आवेदक-याचिकाकर्ता एक सफल उम्मीदवार था, इसलिए प्रतिवादीगण को उनकी नियुक्ति के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और परिणामस्वरूप उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है, उनके द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार, यह देखते हुए कि अंगूठे की छाप की तुलना के परिणामस्वरूप, वह वही व्यक्ति है, जिसने समूह 'डी' पद के लिए आवेदन किया था और उसी में सफल रहा था। उक्त आदेश का अनुपालन इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता सभी व्यवहारीक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

राधा कृष्ण

अनुवादक